महंगाई राहत कैम्प
प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023
कैम्प स्थल...घरसेड़ा......
दिनांक..17/5/23...प.स. बुहाना

निर्णय दिनांक .17/5/23

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना

जिला झुन्झुनू(राज.)

पीठासीन अधिकारी :- सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद स. 239/2015 जीसीएमएस नम्बर - 2015/305

1. प्रभाती लाल पुत्र श्री रामजीलाल उम्र 75 साल
2. काशीराम पुत्र स्व. गोकुलचन्द उम्र 72 साल जाति महाजन निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

.... वादीगण

बनाम

1. जयपाल सिंह पुत्र प्रताप सिंह जाति अहीर निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
2. संतोष पुत्री स्व. रामकुमार सिंह पत्नि गणेशसिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना हाल आबाद भावठड़ी तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू(राज.)
3. उम्मद पत्नि होशियार सिंह
4. सुमेर पत्नि दीपूसिंह

} पुत्रियान स्व. रामकुमार सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना तह. बुहाना जिला झुन्झुनू हाल आबाद भावठड़ी तह. सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू(राज.)

5. हरपाल सिंह पुत्र स्व. मालसिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू
6. अरविन्द सिंह उर्फ भईया पुत्र मालसिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना जिला झुन्झुनू
7. सतीश सिंह पुत्र स्व. अगमसिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना तह. बुहाना
8. उम्मेद कवंर पुत्री उगम सिंह पत्नि गिरवर सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना हाल आबाद छावसरी तह. उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू(राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.06.23 13:03:49 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

महंगाई राहत कैम्प
प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023
कैम्प स्थल......घरडेडा............
दिनांक 17/5/23...पं.स. बुहाना

राजस्व वाद स. 239/2015
प्रभातीलाल आदि बनाम जयपाल आदि
निर्णय दिनांक 17/5/23

9. गुड्डी पत्नि भंवर सिंह पुत्री उगम सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना हाल आबाद रावता की ढाणी तह. सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू(राज.)

10. संजीत सिंह पुत्र स्व. जगदीश सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

11. शिला पत्नि स्व. जगदीश सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

12. रामोतार सिंह } पिसरान स्व. जगन सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना
13. जयसिंह } पिसरान स्व. जगन सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना

14. सत्यपाल सिंह पुत्र स्व. औमपाल सिंह नवीरा स्व. जगनसिंह

15. भंवर सिंह
16. सुमेर सिंह
17. जस्सूसिंह
} पिसरान स्व. सुगन सिंह नवीरा जस्सूसिंह जाति राजपूत नि. बुहाना

18. नारायण सिंह पिसरान स्व. सूरत सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना

19. मांगेलाल सिंह पुत्र स्व. रामकुमार सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना

20. रोतान सिंह पुत्र स्व. फूलसिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना

21. रेवती देवी पत्नि स्व. बहादुर सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना

22. तेजपाल सिंह
23. संग्राम सिंह
} पिसरान बहादुर सिंह जाति राजपूत नि. बुहाना

24. चित्रो देवी पत्नि स्व. मदन सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना

25. खडग सिंह
26. सज्जन सिंह
} पिसरान स्व. मदन सिह जाति राजपूत निवासी बुहाना

27. राजपाल सिंह पुत्र स्व. फूलसिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना

28. रेवत सिंह
29. नरसी सिंह
30. रिसाल सिंह
} पिसरान गोमसिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.06.23 13:03:49 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

31. दशरथ सिंह

32. सुरेश सिंह } पिसरान स्व. देशराज सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना

33. लालसिंह

34. सुरजन सिंह पुत्र स्व. दानसिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना

35. शिवराज सिंह पुत्र स्व. फूलसिंह नवीरा बख्तावर सिंह समस्त जाति राजपूत समस्त निवासी बुहाना तह. बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

36. सुगन कवंर पुत्री स्व. फूलसिंह पत्नि उम्मेद सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना हाल आबाद बंधाला की ढाणी तह. नीम का थाना जिला सीकर (राज.)

37. रामनिवास सिंह } पिसरान स्व. हीरासिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना तह. बुहाना

38. ओमप्रकाश सिंह

39. ओमकवंर पत्नि शीशपाल सिंह पुत्री स्व. हीरासिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना हाल आबाद ढाणी दूल्हेसिंह तह. पावटा जिला जयपुर ग्रामीण (राज.)

40. अन्तर कंवर पत्नि सुमेर सिंह पुत्री स्व. हीरा सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना हाल आबाद इंडाली तह.व जिला झुन्झुनू(राज.)

41. बजरंग सिंह
42. किशन सिंह } पिसरान स्व. रणजीत सिंह नवीरा स्व. चन्द्रसिंह
43. किशोर सिंह } जाति राजपूत नि. बुहाना तह. बुहाना
44. जुगलाल सिंह

45. संतोष कवंर पुत्री स्व. रणजीत सिंह पत्नि श्याम सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना हाल आबाद मटाणा तह. चिडावा जिला झुन्झुनू(राज.)

46. उम्मेद कवंर पत्नि स्व. रणजीत सिंह राजपूत [illegible]ना जिला झुन्झुनू(राज.)

47. कृष्ण सिंह पुत्र स्व. पृथ्वी सिंह जाति राजपूत निवा[illegible]हाना तह. बुहाना जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.06.23 13:03:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

48. सुशीला पुत्री स्व. पृथ्वीसिंह पत्नि समुन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना हाल आबाद केड़ तह. उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू(राज.)

49. गुड्डी पुत्री स्व.. पृथ्वीसिंह पत्नि लादूसिंह जाति राजूपत निवासी बुहाना हाल आबाद धुडेला तह. डीडवाना जिला नागौर (राज.)

50. सुमन पुत्री स्व. पृथ्वीसिंह पत्नि शंभु सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना हाल आबाद केड तह. उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू(राज.)

51. किरण पत्नि स्व. पृथ्वी सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना तह. बुहाना जिला झुन्झुनू

52. मातू सिंह
53. धन सिंह
54. रामवीर सिंह
55. महेन्द्र सिंह
} पिसरान स्व. बचन सिह जाति राजपूत निवासी बुहाना

56. धर्मेन्द्र सिंह
57. टीटू सिंह
} पिसरान स्व. प्रकाश सिह जाति राजपूत निवासी बुहाना

58. कमलेश पत्नि स्व. प्रकाश सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना

59. हंसा सिंह
60. शक्ति सिंह
} पिसरान स्व. गोकूल सिंह जाति राजपुत निवासी बुहाना

61. पूनम पुत्री स्व. गोकुल सिंह पत्नि मनोहर सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना हाल आबाद केहरपुरा तह. चिडावा जिला झुन्झुनू(राज.)

62. विदूया पुत्री स्व. बच्चन सिंह पत्नि स्व. बच्चन सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना हाल आबाद आलमपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू(राज.)

63. ओम कवंर पुत्री स्व. बच्चन सिंह पत्नि सोहन [illegible] जाति राजपूत निवासी बुहाना हाल आबाद आमलपुरा तह. चिडावा जिला झुन्झुनू(राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.06.23 13:03:49 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

महंगाई राहत कैम्प
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
कैम्प स्थल ..घसेडा..........
दिनांक 17/5/23 पं.स. बुहाना

राजस्व वाद स. 239/2015
प्रभातीलाल आदि बनाम जयपाल आदि
निर्णय दिनांक 17/5/23

64.संतोष कंवर पुत्री बच्चन सिंह पत्नि रामसिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना हाल आबाद आलमपुरा तह. चिडावा जिला झुन्झुनू(राज.)

65.बाला पुत्री स्व. बच्चन सिंह पत्नि महेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी हाल आबाद आलमपुरा तह. चिडावा जिला झुन्झुनू(राज.)

66.शान्ति बेवाह स्व. बच्चन सिह जाति राजपूत निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू

67.पूर्ण सिंह उर्फ अजय सिंह पुत्र भगसिंह नवीरा नाराणी देवी बेवाह स्व. सवाई सिंह दोहिता तारामणी जाति राजपूत निवासी ढाणी बाढा तह. खेतड़ी जिला झुन्झुनू(राज.)

68.बच्चन सिंह
69.हजारी सिहं } पिसरान भगवत सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना तह. बुहाना

70.सुरेन्द्र सिह
71.हवा सिंह } पुत्रान रामप्रसाद जाति अहीर निवासी गोपालपुरा तहसील बुहाना

72.हरचन्द पुत्र शिवकरण जाति अहीर निवासी मानपुरा तह. बुहाना जिला झुन्झुनू

73.मातुसिंह
74.श्रवण सिंह } पिसरान अगर सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना तह. बुहाना

75.मंगेज सिंह
76.हजारी सिंह
77.महावीर सिंह
78.महेन्द्र सिंह } पिसरान स्व. जगमाल सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना

79.शीशराम पुत्र सुलतान जाति खाती निवासी मैनाना तह. बुहाना जिला झुन्झुनू

80.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

81.उप पंजीयक बुहाना तह. [illegible]

...... प्रतिवादीगण

दावा - घो[illegible] निषेधाज्ञा

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.06.23 13:03:49 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

महंगाई राहत कैम्प
प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023
कैम्प स्थल ...घरडेा...........
दिनांक 17/5/23 प.स. बुहाना

राजस्व वाद स. 239/2015
प्रभातीलाल आदि बनाम जयपाल आदि
निर्णय दिनांक 17/5/23

अ.धारा - 53, 88, 188 राज. कास्त. अधिनियम

उपस्थिति -

1. श्री रोहित पोषवाल , अधिवक्ता - वादी की ओर से ।
2. श्री नरपाल यादव एडवोकेट प्रतिवादी स. 10, 11, 15, 16 की ओर से
3. श्रीमती राजकुमार चौधरी, एडवोकेट प्रतिवादी स. 73 व 74 की ओर से
4. श्री अशोक यादव एडवोकेट प्रतिवादी स. 68, 69 की ओर
5. श्री मुकेश चौधरी एडवोकेट प्रतिवादी स. 79 की ओर से शेष प्रतिवादीगण खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही

-:: निर्णय ::- दिनांक 17/5/23

वादी की ओर से हस्तगत वाद पत्र - घोषणात्मक,रिकार्ड दुरूस्ती,खाता विभाजन। संक्षिप्ततः इन अभिवचनो के साथ प्रस्तुत किया गया हैं कि:-

1. यह कि वाके ग्राम बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.) स्थित गत खाता स. 675 ख.न. 113 रकबा 3.93 हैकटर ख.न. 143 रकबा 1.18 हैकटर ख.न. 144 रकबा 1.32 हैक्टर ख.न. 152 रकबा 0.63 हैक्टर ख.न. 296 रकबा 1.16 हैकटर ख.न. 604 रकबा 1.41 हैक्टर ख.न. 661 रकबा 2.44 हैकटर ख.न. 1529 रकबा 0.35 हैक्टर ख.न. 1663 रकबा 0.65 हैक्टर ख.न. 2289 रकबा 0.47 हैक्टर ख.न. 2304 रकबा 0.96 हक्टर ख.न. 2437/1547 रकबा 0.20 हैक्टर कुल रकबा 15.35 हैक्टर जमाबन्दी संवत् 2046 लगायत 2049 में प्रतिवादीगण स. 73 व 74 व उनके सह खातेदारान खातेदार कास्तकार दर्ज रिकॉर्ड हैं। इस समस्त प्रश्नगत जमीन मे प्रतिवादीगण स. 73 व 74 व उनके सह खातेदारान ... प्रतिवादीगण स. 1 लगायत 3 के हकपूर्वाधिकारी स्व. रामकुमार सिंह पुत्र स्व. श... ... नारायण सिह पुत्र सुखसिंह व नाराणी बेवाह स्व. गणपत सिंह का हिस्सा ... आना था ... स्व. नारायण सिंह पुत्र स्व. सुखसिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.06.23 13:03:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

अविवाहित नाऔलाद फौत हो गया था उसकी संपति का टाईटल भी प्रतिवादीगण स. 73 व 74 के पास ही हैं नकल जमाबंदी पेश हैं।

2. यह कि सम्पूर्ण भूमि जिसका विवरण दावा के खण्ड न. 1 मे दिया गया हैं। उक्त भूमि में प्रतिवादीगण स. 73 व 74 का 1/4 हिस्सा दर हिस्सा चार आना था। प्रतिवादी स. 73 व 74 के हकपूर्वाधिकारी स्व. अगर सिंह ने अपने जीवनकाल मे अपने सह खातेदारान से आपसी समझौता कर बाहमी बंटवारा कर लिया था। उक्त बाहमी बंटवारा के मुताबिक उसके हिस्से मे भूमि हाल ख. न. 2304 रकबा व 0.96 हैक्टर आई हुई थी जिस पर वह अपने जीवन पर्यन्त काबिज कास्त रहा हैं तथा उसकी मृत्यु सन् 1991 मे होने के बाद उसके पुत्रान प्रतिवादीगण स.73 व 74 काबिज कास्त रहे हैं। प्रतिवादी स. 73 व 74 का कुल किता 45 कुल रकबा 43.89 हैकटर में 1/12 हिस्सा था जिसके अनुसार उनके हिस्से में 3.65 हैक्टर रकबा आता हैं जिसमें से उन्होने 0.96 हैकटर रकबा वादीगण को 0.17 हैक्टर रकबा प्रतिवादी स. 15 भंवर सिंह को दे दी हैं। अब उनके पास 2.52 हैक्टर रकबा शेष रहा लेकिन उनके कब्जा में 2.44 हैक्टर रकबा हैं।

3. यह कि वादीगण ने जरिय रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.07.1991 को प्रतिवादीगण स. 73 व 74 उनके हिस्से के कब्जेकास्त की भूमि मे हिस्सा 1/4 दरहिस्सा चार आना रूपये 38400 अकेही अड़तीस हजार चार सौ रूपये मात्र में खरीद ली तथा कब्जा भी क्रय की तिथ को ही प्राप्त कर लिया था। तथा मूल्य की समस्त रकम भी प्रतिवादीगण स. 73 व 74 को अदा कर दी थी। रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र सम दिनांक 24.07.1991 मे प्रश्नगत भूमि खसरा न. 2304 के लिये विशिष्ट विवरण इस प्रकार दिया गया कि :-

1. यह भूमि ग्राम बुहाना से दक्षिण दिशा मे स्थित हैं।
2. यह भूमि बुहाना से एक किलोमीटर दूरी पर हैं।
3. यह भूमी सड़क के सहारे हैं।

इस प्रकार विक्रय पत्र दिनांक 24.07.1991 में प्रश्नगत भूमि ख.न. 2304 रकबा 0.96 हैक्टर का विशिष्ट विवरण [illegible] तथा वादीगण [illegible] खरीद की तिथ से आज तक निरन्तर निर्बाध

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chauhan
Date: 2023.06.23 13:03:49 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

महंगाई राहत कैम्प
प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023
कैम्प स्थल....घरडाना.........
दिनांक..17/5/23...प.स. बुहाना

राजस्व वाद स. 239/2015
प्रभातीलाल आदि बनाम जयपाल आदि
निर्णय दिनांक 17/5/23

रूप से काबिज कास्त हैं जिसकी जानकारी समस्त सह खातेदारो को हैं। वह अपने आचरण से पाबंद हैं। उक्तानुसार यह स्वीकृत तथ्य हैं कि प्रश्नगत भूमि के खसरा न. 2304 रकबा 0.96 हैक्टर से प्रतिवादीगण स. 73 व 74 व उनके दायभागियो को बेचान की दिनांक 24.07.1991 के बाद आज तक कोई किसी प्रकार का संबंध सरोकार नही रहा हैं नकल विक्रय पत्र पेश हैं।

3 Aयह कि ग्राम बुहाना स्थित भूमि ख.न. 113 रकबा 3.93 हैक्टर ख.न. 143 रकबा 1.18 हैक्टर ख.न. 144 रकबा 1.32 हैक्टर , 152 रकबा 0.63 हैक्टर, 296 रकबा 1.16 हैक्टर , ख.न. 604 रकबा 1.41 हैक्टर ख.न. 681 रकबा 0.23 हैक्टर ख.न. 771 रकबा 2.44 हैकटर ख.न. 871 रकबा 9.39 हैक्टर ख.न. 877 रकबा 0.75 हैकटर ख.न. 1139 0.20 हैक्टर ख.न. 1140 रकबा 8.83 हैक्टर ख.न. 1170 रकबा 1.33 हैक्टर ख.न. 1182 रकबा 1.12 हैक्टर ख.न. 1513 रकबा 1.45 हैक्टर ख.न. 1520 रकबा 0.73 हैक्टर ख.न. 1521 रकबा 0.17 हैक्टर ख.न. 1522 रकबा 0.09 हैक्टर ख.न. 1523 रकबा 0.08 हैक्टर ख.न. 1524 रकबा 0.09 हैक्टर ख.न. 1526 रकबा 1.04 हैकटर ख.न. 1528 रकबा 0.29 हैक्टर ख.न. 1529 रकबा 0.35 हैक्टर ख.न. 1530 रकबा 0.34 हैकटर ख.न. 1531 रकबा 1.23 हैक्टर ख.न. 1532 रकबा 0.43 हैक्टर ख.न. 1533 रकबा 0.19 हैक्टर ख.न. 1534 रकबा 0.60 हैक्टर ख.न. 1537 रकबा 1.00 हैकटर ख.न. 1558 रकबा 0.09 हैक्टर ख.न. 1560 रकबा 0.15 हैक्टर ख.न. 1561 रकबा 0.19 हैक्टर ख.न. 1563 रकबा 0.41 हैकटर ख.न. 1566 रकबा 0.20 हैक्टर ख.न. 1631 रकबा 1.66 हैक्टर ख.न. 1663 रकबा 0.65 हैक्टर ख.न. 2241/3 रकबा 0.03 हैक्टर ख.न. 2243 रकबा 1.40 हैक्टर ख.न. 2244 रकबा 1.42 हैक्टर ख.न. 2248 रकबा 1.02 हैक्टर ख.न. 2289 रकबा 0.47 हैकटर ख.न.2304 रकबा 0.96 हैकटर ख.न. 231[illegible] रकबा [illegible]46 हैकटर ख.न. 2435/1557 रकबा 0.20 हेक्टर किता 45 रकबा 43.89 हैक्टर स्थि[illegible] इस भूमि का मौके पर खातेदारो द्वारा विभाजन किया हुआ था जि[illegible] आवश्यकता हुई उसी खातेदार ने अपनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.06.23 13:03:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

भूमि बेचान कर दी एवं जो ख.न. बेचान किये व अलग - अलग खाता में चले गये जिस कारण पक्षकारो के हिस्से प्रभावित हो गये। तथा दावा बउनवानी बरफी वगै बनाम मालसिंह वगै मु.न. 233/2001 भगवान सिंह वगै बनाम मालसिंह वगै मु.न. 91/2002 एवं दावा मातुसिंह वगै. बनाम मालसिंह व मु.न. 174/2003 एवं दावा भंवर सिंह वगै बनाम राज. सरकार वगै. मु.न. 12/2007 के निर्णय से इस भूमि का विभाजन हो गया एवं जिन खातेदारो को उनका हिस्सा विभाजन में मिल गया था उनका नाम शेष रही भूमि मे फिर से रह गया हैं जिससे हिस्से प्रभावित होने से वादीगण का नामान्तरण दर्ज नही हुआ हैं।

4. यह कि दावा का खण्ड न. 1 में दर्ज भूमि का कालान्तर में किसी वैध नियम व तरीके के वादीगण को सम्यक सूचना दिये बिना उनकी अनुपस्थिति मे प्रश्नगत भूमि बाबत किये गये निर्णय से वादीगण पाबंद नही हैं।

5. यह कि उक्तानुसार भूमि ख.न. 2304 रकबा 0.96 हैक्टर पर क्रय की तिथ से दिनांक 24.07.1991 से आज तक वादीगण ही काबिज कास्त चले आ रहे हैं। प्रतिवादीगण स. 1 के खरीदशुद्धा हिस्सा 335 वर्गमीटर के अलावा किसी भी प्रतिवादीगण का इस जमीन ख.न. 2304 के किसी भी भू -भाग पर कब्जा नही रहा हैं इस बात की उन्हे जानकारी हैं।

6. यह कि जैसा कि वाद पत्र के उपरोक्त खण्डो मे वर्णित किया जा चुका हैं कि प्रश्नगत जमीन ख.न. 2304 रकबा 0.96 हैक्टर बाहमी बंटवारा के मुताबिक प्रतिवादीगण स. 73 व 74 के हिस्से मे आई थी जिनसे वादीगण ने खरीदकर उस पर दिनांक 24.07.1991 को ही काबिज होकर निरतर काबिज कास्त चले हा रहे हैं परन्तु बिना किसी वैध अधिकार के भूमि शामलाती खाता होने का नाजायज लाभ लेकर प्रतिवादी स. 76 हजारी सिंह ने दिनांक 23.09.2013 को प्रतिवादी स. 79 के नाम एक विक्रय पत्र प्रश्नगत भूमि ख.न. 2304 रकबा 0.96 हैक्टर मे से करवा दिया हैं उक्त विक्रय पत्र दिनांक 23.09.2013 वादीगण के [illegible] अधिकार पर निष्प्रभावी हैं। प्रतिवादी स. 79 पंचायत समिति बुहाना मे [illegible] उसने प्रतिवादी स. 76 से मिलीभगत कर अपने पद का दुरूपयोग कर अवैध रूप से प्रश्नगत [illegible] मा. वादीगण को उसके वैध अधिकारो

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.06.23 13:03:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

से वंचित करवाने की नियत से किया हैं जो कि उक्तानुसार वादीगण के अधिकारो पर निष्प्रभावी हैं जिसे वादीगण न्यायालय श्रीमानजी से निरस्त कराने के अधिकारी हैं जिसमें कोई अड़चन या बाधा का करण नही हैं। लेकिन फिर भी वादीगण उक्त प्रतिवादी स. 79 को उसकी खरीदशुद्धा भूमि अपने खरीदशुद्धा रकबा मे से देने को तैयार हैं।

6 A यह कि भूमि खसरा नम्बर 2304 रकबा 0.96 हैक्टर के 1/2 हिस्से का काशीराम पुत्र गोकलचन्द वादी स. 2 का कब्जा हैं तथा 1/2 हिस्से के 0.4365 हैक्टर रकबा पर वादी स. 1 का एवं 0.0335 हैक्टर पर जयपाल प्रतिवादी स.1 का कब्जा हैं तथा 0.0100 हैक्टर रकबा पर शीशराम प्रतिवादी स. 79 का कब्जा हैं। तथा खसरा नम्बर 771 रकबा 2.44 हैक्टर पर श्रवण सिंह एवं मातुसिंह का कब्जा हैं। तथा खसरा न.2435/1530 रकबा 0.17 हैक्टर पर प्रतिवादी भवंर सिंह पुत्र श्री सुगन सिंह का कब्जा हैं। शेष भूमि गोपालपुरा स्थित भूमि खसरा नम्बर 113, 143, 144, 152, 296 तथा ग्राम बुहाना स्थित खसरा नम्बर 604 , 1663, 3436/1557 पर अन्य खातेदारो का कब्जा हैं। लेकिन वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 2304 में प्रतिवादीगण का नाम दर्ज रहने से उनके हक अधिकारो पर विपरित प्रभाव पड़ रहा हैं तथा खसरा 2635/1530 रकबा 0.17 हैक्टर जो प्रतिवादी स. 73 व 74 मातुसिंह , श्रवण पुत्रान अगर सिंह के नाम हैं। उनका इस भूमि पर कब्जा नही हैं। बल्कि इस भूमि पर भवंर सिंह का कब्जा हैं। एवं ख.न. 2635/1530 की खातेदारी प्रतिवादी स. 15 के नाम घोषित किये जाने योग्य हैं।

7. यह कि वर्तमान समय से ग्राम बुहाना में भारी तेजी हैं तथा प्रतिवादीगण स. 75 से 79 भूमाफियाओ के सम्पर्क मे हैं तथा अवैध बेचान कर जमीनो के असल मालिको को उनके हक व अधिकारो से वंचित करने का एक रेकेट चलाते हैं।

8. यह कि वादीगण को इनके कब्जे काश्त की भूमि खसरा 2304 रकबा 0.96 हैक्टर मे से प्रतिवादी स. 76 द्वारा दिनांक 23.09.2013 को प्रतिवादी स. 79 के हक में प्रथमतः शुन्य बेचान के बारे मे ग्राम बुहाना मे चर्चा सुनी तो गत सप्ताह वादीगण ने उक्त भूमि ख.न. 2304 के रिकॉर्ड राजस्व की नकल तहसील बुहाना से प्राप्त की तो जानकारी हुई हैं। जानकारी होने पर वादीगण ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.06.23 13:03:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

प्रतिवादीगण स. 76 व 79 से सम्पर्क किया और उनको उक्त प्रथमतः शुन्य बेचान के लिए उल्हाना दिया कि आपने गलत रूप से विक्रय पत्र क्यो करवाया इस पर प्रतिवादीगण स. 34, 75, 77, 78 व 79 ने वादीगण को धमकी दी कि वह अब पुनः प्रश्नगत भूमि के शेष हिस्से को भी किन्ही भू-माफियाओ को बेचान करेगे तथा जबरन लठ के बल पर आप लोगो को बेदखल कर कब्जा लेगे। इस प्रकार यदि प्रतिवादीगण स. 34 व 77 से 79 अपने नापाक इरादो मे सफल हो गये तथा वादीगण को उनके हक - हकूक वाली जमीन से जबरन लठ के बल पर बेदखल कर दिया जायेगा तो उन्हे ऐसी क्षति होगी जिसका मुद्रा मे कभी भी भुगतान नही किया जा सकेगा।

9. यह कि ऐसी परिस्थितियो में वादीगण के लिए यह बेहद आवश्यक हो गया हैं कि वह न्यायालय श्रीमानजी से प्रतिवादी स. 76 द्वारा प्रतिवादी स. 79 के हक में दिनांक 23.09.2013 को किये गये विक्रय पत्र बाबत भूमि खसरा न. 2304 को प्रश्नगत शुन्य घोषित करवाये तथा वाके ग्राम बुहाना स्थित भूमि जिसका वाद पत्र के खण्ड न. 1 मे वर्णन किया गया हैं का खाता विभाजन करवाकर प्रश्नगत भूमि ख.न. 2304 रकबा 0.96 हैक्टर का बंटवारा वादीगण व प्रतिवादी स. 1 के नाम करवाकर लगान अलहेदा कायम करवाकर तथा प्रतिवादीगण स. 75 व 77 लगायत 79 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाये कि वह वादीगण के कब्जे कास्त में जबरन लठ के बलल पर बेदखल नही करे तथा भूमि ख.न. 2304 के किसी भी भू-भाग को किसी भी प्राकर से हस्तानान्तरण नही करे तथा इस जमीन ख.न. 2304 के किसी भी भू- भाग पर जबरन कब्जा नही करे, कोई कच्चा - पक्का निर्माण नही करे तथा ऐसा ना ही स्वयं करे तथा ना ही अपने रिश्तेदारो , मित्रो , ईष्टजनो , सर्वेण्टस व एजेन्टो से करावे तथा प्रतिवादी स. 81 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह ग्राम बुहाना स्थित भुमि खसरा न. 2304 के किसी भी भू-भाग पर प्रतिवादीगण स. 34, 75, 78 व 79 द्वारा समक्ष प्रस्तुत विक्रय पत्र , हकत्याग , रहननामा आदि को तस्दीक नही करे ना ही ... करे ... ना ही अपने अधिनस्थ कर्मचारीयो अधिकारीयो से करवाये।

उपखण्ड अधिकारी
... जिला झुंझुनू (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.06.23 13:03:49 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

महंगाई राहत कैम्प
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
कैम्प स्थल....घरडेडा................
दिनांक...17/5/23...पं.स. बुहाना

राजस्व वाद स. 239/2015
प्रभातीलाल आदि बनाम जयपाल आदि
निर्णय दिनांक 17.5.23

10. यह कि वादीगण के लिए वाद कारण प्रतिवादीगण स. 34, 75, 77, 78, 79 द्वारा वादीगण को जबरन लठ के बल पर बेदखल करने व किन्ही भूमाफियाओ को वादीगण के हक व कब्जेकास्त की भूमि ख.न. 2304 रकबा 0.096 हैक्टर भूमि को बेचान कर वादीगण को उनके अधिकारो से वंचित करने की धमकी देने से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।
11. यह कि प्रतिवादीगण पक्षकारान को यह प्रकरण खाता विभाजन एवं बाबत घोषणात्मक होने से आवश्यक पक्षकार बनाये गये हैं।
12. यह कि दावा घोषणात्मक व खाता विभाजन के लिए कोई मियाद निर्धारित नही हैं मगर दावा फिर भी कानूनन अन्दर मियाद पेश हैं।
13. यह कि विवादग्रस्त भूमि ग्राम बुहाना तह. बुहाना मे स्थित हैं जो श्रीमानजी के क्षेत्राधिकार मे स्थित होने से इस वाद की सुनवाई कर निर्णित करने का अधिकार प्राप्त हैं।
14. यह कि दावा निर्धारित कोर्ट फीस पर सेवार्पित हैं।
15. यह कि दावा इस भूमि के गत व नवीनतम रिकॉर्ड सहित सी.पी.सी. के प्रावधानो के मुताबिक दो प्रतियो मे पेश हैं।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन हैं कि :-

(क). कि वाके ग्राम बुहाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 2304 रकबा 0.96 हैक्टर में वादी स. 2 को 1/2 हिस्सा वादी स. 1 का 0.4365 हैक्टर हिस्सा जयपाल का 0.0335 हैक्टर तथा शीशराम का 0.0100 हैक्टर रकबा घोषित किया जाकर प्रतिवादी श्रवण सिंह एवं मातुसिंह को खसरा नम्बर 771 रकबा 2.44 हैक्टर का बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित कर खसरा नम्बर 2635/1530 रकबा 0.17 हैक्टर का भवर सिंह पुत्र सुगन सिंह को खातेदार घोषित किये जाने कि कृपा करे एवं इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद किये जाने कि कृपा करे।

(ख). कि दावा बहक वादीगण विरूद प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर खर्चा दावा प्रतिवादीगण को दिलवाये जावे।

(ग). कि अन्य कोई अनुतोष मांगे जाने से रह गया हो वह प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.06.23 13:03:49 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

महंगाई राहत कैम्प
प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023
कैम्प स्थल......घरडाना......
दिनांक..17/5/23.प.स. बुहाना

राजस्व वाद स. 239/2015
प्रभातीलाल आदि बनाम जयपाल आदि
निर्णय दिनांक 17/5/23

दावा दर्ज रजिस्ट्रर कर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई जिसमे पहले प्रतिवादी स. 15, 16, 18 की ओर से जवाब पेश किया गया जिसके आधार पर तनकीयात कायम की गई उसके बाद वादी की ओर से आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पेश किया जो स्वीकार होने पर संशोधित वाद पत्र पेश किया गया जिस पक्षकारो ने परस्पर सहमति से राजीनामा होने पर प्रतिवादी स. 10, 11, 15, 16 की ओर श्री नरपाल यादव एडवोकेट ईकबाली जवाब पेश किया से प्रतिवादी स. 73 व 74 की राजकुमार चौधरी एडवोकेट इकबाली जवाब पेश किया से प्रतिवादी स. 68, 69 की ओर से श्री अशोक यादव एडवाकेट ने ईकबाली जवाब पेश किया प्रतिवादी स. 79 की ओर से श्री मुकेश चौधरी एडवोकेट ने ईकबाली जवाब पेश किया शेष प्रतिवादीगण खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

वाद पत्र मे पूर्व मे जो तनकीयात कायम की गई थी पर उन पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नही हैं तथा संशोधित वाद मे उपस्थित प्रतिवादीगण ने इकबाली जवाब पेश कर दिया इसलिए अब इसमे विवाद बिन्दु निर्धारित करने की आवश्यक्ता नही होने से तनकीयात कायम नही की गई साक्ष्य वादी मे काशीराम का शपथ पत्र पेश किया उसके बाद वाद वर्णित भूमी की मौके पर कब्जे की रिर्पोट मंगवाई गई जिन्होने दिनांक 15.03.2023 को मौका निरक्षण कर कब्जा रिर्पोट प्रस्तुत की ।

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

बहस सुनी गई पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का अध्ययन किया गया मौके पर कब्जे की रिर्पोट दिनांक 15.03.2023 के अनुसार ख.न. 771 रकबा 2.44 हैक्टर पर श्रवण सिंह , मातुसिंह पुत्रान अगर सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना का कब्जा हैं तथा ख.न. 626/1530 रकबा 0.17 हैक्टर पर भवर सिंह पुत्र सुगन सिंह का एवं ख.न. 2404 रकबा 0.96 हैक्टर पर प्रभातीलाल पुत्र रामजीलाल का 0.4365 हैक्टर(4365 वर्गमीटर) पर एवं काशीराम पुत्र गोकलचन्द का 0.48 हैक्टर (4800 वर्गमीटर) व जयपाल सिंह पुत्र प्रतापसिंह का 0.0335 हैक्टर ([illegible] वर्गमीटर) व शीशराम पुत्र सुलतान का 0.0100 हैक्टर (100 वर्गमीटर) पर कब्जा [illegible] है। विक्रय पत्र प्रदर्श 1 के अनुसार वादीगण ने भूमी ख.न. 113, 142, 144, [illegible] 296, 604, 661 , 1589, 1663 , 2289, 2304, 2310, 2437/1557 किता 13 [illegible] 15.35 हैक्टर मे 1/4 हिस्सा की भूमी वादीगण को बहिस्सा बराबर जरिए पंजिकृत विक्रय पत्र बेचान की हैं लेकिन इस विक्रय पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.06.23 13:03:49 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

के आधार पर उक्त वादीगण के नाम इस भूमी का नामान्तकरण दर्ज नही हुआ जबकि वादीगण ने पंजिकृत विक्रय पत्र से भूमी खरीद की हैं एवं मुताबिक मौका रिर्पोट एवं उपस्थित प्रतिवादीगण की सहमति के अनुसार वाद वर्णित भूमी ख.न. 2304 पर वादीगण एवं प्रतिवादी स. 1 व 79 का ही कब्जा हैं तथा ख.न. 771 पर प्रतिवादी स. 73 व 74 का कब्जा हैं तथा ख.न. 2635/1503 पर प्रतिवादी स. 15 का कब्जा हैं एवं वादीगण के दावे का पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से खण्डन नही होता बल्कि स्वीकारोक्ति हैं इस प्रकार वादीगण का यह दावा अन्तिम रूप से डिक्री योग्य हैं।

- :: आदेश ::-

अतः वादीगण का दावा इस प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि वाके ग्राम बुहाना स्थित भूमी ख.न. 2304 रकबा 0.96 हैक्टर मे वादी स.2 को 1/2 हिस्से का एवं वादी स.1 को 0.4365 हैक्टर एवं प्रतिवादी स.1 को 0.0335 हैक्टर तथा प्रतिवादी स.79 को 0.0100 हैक्टर रकबा का खातेदार घोषित किया जाता हैं तथा ख.न. 771 रकबा 2.44 हैक्टर का खातेदार प्रतिवादी स. 73 व 74 को खातेदार घोषित किया जाता हैं तथा ख.न. 2635/1530 का खातेदार प्रतिवादी स.15 को घोषित किया जाता हैं उक्त प्रतिवादी स.73, 74, व 15 का नाम शेष भूमी ख.न. 113, 143, 144, 152, 296, 604, 661, 1529 ,1663, 2289, 2310, 2437/1557 से हजफ किया जाता हैं तहसीलदार बुहाना को आदेश दिया जाता हैं कि उपरोक्त अनुसार निर्णय व डिक्री की पालना कर राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद करे इसी अनुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 17.05.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से मुद्राकिंत कर खुले न्यायालय में सुनाया गया हैं।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.06.23 13:03:49 IST
Reason: SelfAttested

महंगाई राहत कैम्प
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
कैम्प स्थल....घरडाना............
दिनांक...17/5/23...पं.स. बुहाना

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना

जिला झुन्झुनू(राज.)

पीठासीन अधिकारी :- सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद स. 239/2015 जीसीएमएस नम्बर - 2015/305

प्रभाती आदि - ब ना म - जयपाल आदि

दावा -घोषणात्मक,रिकार्ड दुरूस्ती,खाता विभाजन।

वादी की ओर से श्री **रोहित पोषवाल एडवोकेट** की उपस्थिति एवं श्री नरपाल यादव एडवोकेट प्रतिवादी स. 10, 11, 15, 16 की ओर से श्री राजकुमार चौधरी, एडवोकेट प्रतिवादी स. 73 व 74 की ओर से श्री अशोक यादव एडवोकेट प्रतिवादी स. 68, 69 की ओरश्री मुकेश चौधरी एडवोकेट प्रतिवादी स. 79 की ओर से शेष प्रतिवादीगण खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई इस वाद में आज तारीख 17.5.23 को **सुनिल कुमार उपखण्ड अधिकारी बुहाना** के समक्ष प्राथमिक निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता हैं और अन्तिम डिक्री दी जाती हैं कि -

" वाके ग्राम बुहाना स्थित भूमी ख.न. 2304 रकबा 0.96 हैक्टर मे वादी स.2 को 1/2 हिस्से का एवं वादी स.1 को 0.4365 हैक्टर एवं प्रतिवादी स.1 को 0.0335 हैक्टर तथा प्रतिवादी स.79 को 0.0100 हैक्टर रकबा का खातेदार घोषित किया जाता हैं तथा ख.न. 771 रकबा 2.44 हैक्टर का खातेदार प्रतिवादी स. 73 व 74 को खातेदार घोषित किया जाता हैं तथा ख.न. 2635/1530 का खातेदार प्रतिवादी स.15 को घोषित किया जाता हैं उक्त प्रतिवादी स.73, 74, व 15 का नाम शेष भूमी ख.न. 113, 143, 144, 152, 296, 604, 661, 1529 ,1663, 2289, 2310, 2437/1557 से हजफ किया जाता हैं तहसीलदार बुहाना को आदेश दिया जाता हैं कि उपरोक्त अनुसार निर्णय व डिक्री की पालना कर राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद करे इसी अनुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।"

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुन्झुनू (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.06.23 13:03:49 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)